न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 314–तीन/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 298/2006–07/अपील.

———

1– बलराम सिंह पुत्र मंगल सिंह धाकड़
2– श्रीमती जमुना देवी पत्नी बलराम सिंह
निवासी ग्राम विनायक खेड़ी
तह. व जिला गुना म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– सीताराम ताटके पुत्र विश्वनाथ ताटके
2– सुभाष ताटके पुत्र राजाराम ताटके
3– अविनाश ताटके पुत्र राजाराम ताटके
निवासीगण ताटके का बाड़ा
सदर बाजार गुना ——— अनावेदकगण

———

श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री एस. के. वाजपेई, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10-07-2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 298/2006–07/अपील में पारित आदेश दिनांक 26–6–09 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक बलराम के द्वारा कलेक्टर, गुना के न्यायालय में संहिता की धारा 107 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम विनायक खेड़ी की भूमि सर्वे नं. 174/193 एवं 174/194 में रास्ता कायम रखते हुए संवत 2007 से संवत 2025 के नक्शे में दुरस्ती की मांग की गई । उक्त आवेदन के

आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच प्रतिवेदन आहूत करते हुए प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर उक्त आवेदन अस्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि नक्शा संवत 1976 एवं संवत 2014 में निर्धारित मार्ग को अपनी सीमा में अनावेदकों द्वारा मिलाने और शामिल कर अपना रकबा बढाने से मार्ग अवरूद्ध हो गया । इस कारण आवेदकों ने रास्ता बावत आवेदन दिया जिसे निरस्त करने में कलेक्टर न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह कहा गया कि आवेदकगण का रास्ता पूर्व से चला आ रहा था वह कैसे समाप्त किया इसका उल्लेख नहीं है । अनावेदकों ने अवैधानिक तरीके से चरनोई, रास्ता आदि की भूमि को अपने रकबे में बढ़ाया है । आवेदकों ने तहसील न्यायालय में सभी दस्तावेज खसरा आदि पेश किए जिन पर कोई विचार नहीं किया गया । उनके द्वारा अंत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः जांच कर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए तर्क दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें सभी तथ्यों का उल्लेख किया है । अनावेदकों को अतिक्रमण नहीं है ना ही गलत नक्शा बना है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिनमें कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं है । अतः उन्हें स्थिर रखने एवं निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नक्शा सुधार एवं रास्ते के संबंध में है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने विधिवत जांच कराके प्रतिवेदन बुलाया गया है और आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश पारित किया गया है । जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि तहसीलदार के द्वारा स्वयं दिनांक 20.1.07 को स्थल

निरीक्षण किया गया, मौके पर कथन लिया जाकर पंचनामा बनाया गया है । पटवारी रिर्पोट भी ली गई है और स्थल निरीक्षण में मौके पर पाई गई स्थिति को देखते हुए प्रतिवेदन दिया गया है । उन्होंने यह भी पाया है कि जांच अधिकारी द्वारा विधिवत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल राजस्व अभिलेख से मिलान किया जो सही नहीं पाया गया है । प्रकरण में विचारण न्यायालय ने यह पाया है कि मौके पर पूर्व रास्ता या परंपरा रास्ता रहा हो इसका कोई प्रमाण नहीं है । अक्श प्रति दिनांक 17–3–97 में दर्शित रास्ते के संबंध में यह पाया है कि वह किसी रूप में वर्तमान में चालू नक्शा में नहीं है और शासकीय रिकार्ड से भिन्न है तथा मौका स्थल पर भी मौजूद नहीं है । प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपर आयुक्त ने विचार न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है । अपर आयुक्त का आदेश आख्यापक और विवेचनापूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों के संबंध में समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर